भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3066 का उत्तर

बिहार में रेलगाड़ियों के वातानुकूलित शयनयानों में तोड़फोड़

3066. श्री एम. के. राघवन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में फरवरी 2025 के दौरान रेलगाड़ियों के वातानुकूलित शयनयानों में तोड़फोड़ की कोई घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरपीएफ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है; और

(घ) यदि हां, तो तोड़फोड़ की घटना के कारण रेल को हुई अनुमानित क्षति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से रेलवे में अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, अपराधों के पंजीकरण और जांच तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

फरवरी 2025, के दौरान, बिहार में रेलगाड़ियों के वातानुकूलित सवारी डिब्बों में तोड़फोड़ की घटनाओं के 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल को 1,49,817/- रुपए की हानि हुई है।

******